

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी:- अमिता बिश्नोई**

आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:- 146/2024

हेमन्त कुमार पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

-- वादी

-:बनाम:-

1. श्योपारी पत्नी सहीराम जाति बिश्नोई साकिन 6 एलकेएस लखासर तहसील पीलीबंगा
2. विनोद पुत्र सहीराम जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. विजेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम
4. बगड़ावत उर्फ बगड़ावतराम पुत्र रामचन्द्र ( फौत)
- 4/1. शिवकरण पिसरान बगड़ावत उर्फ बगड़ावतराम जाति बिश्नोई साकिन खिन्दासर
- 4/2. रामलाल तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
- 4/3. भंवरी पुत्री बगड़ावत उर्फ बगड़ावतराम पत्नी हरीराम जाति बिश्नोई साकिन नोखड़ा गोदारा तहसील बाप जिला जोधपुर राजस्थान ।
- 4/4. निर्मला पुत्री बगड़ावत उर्फ बगड़ावतराम पत्नी हरीराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 11 मानकासर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान ।
- 4/5. कमला पुत्री बगड़ावत उर्फ बगड़ावतराम पत्नी इमीलाल जाति बिश्नोई साकिन बधाला तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान ।
- 4/6. शारदा पुत्री बगड़ावत उर्फ बगड़ावतराम पत्नी इमीलाल जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 13 कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
5. मलूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन जाति बिश्नोई साकिन खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
6. रामचन्द्र पुत्र भरताराम उर्फ भरक्षाराम (फौत)
- 6/1. सजना पुत्री रामचन्द्र पत्नी वीरबलराम जाति बिश्नोई साकिन धरनोक तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान ।
- 6/2. सोनी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मानाराम जाति बिश्नोई साकिन धरनोक तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान ।
7. नारायणराम (फौत)
- 7/1. पंखी पत्नी नारायणराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं.05 खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
- 7/2. मोहनराम पुत्र नारायणराम जाति बिश्नोई साकिन 254 बिश्नोईयों का बास खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
- 7/3. किसनाराम पुत्र नारायणराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं.05 खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
8. नत्थूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन जाति बिश्नोई साकिन खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
9. मनीराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन जाति बिश्नोई साकिन खिन्दासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान ।
10. धापू पुत्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन खिन्दासर तहसील कोलायत जिला



सहीराम पुत्र सहीराम  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्थान ।

11. पारु पुत्री रामचन्द्र फौत
- 11/1. परमेश्वरी पुत्री पारु पुत्री रामचन्द्र पत्नी किशनाराम जाति बिश्नोई साकिन सिहागो की द्वाणी थाटानगर लोहावट तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान ।
- 11/2. बिरजीलाल पुत्र पारु पुत्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन नोखड़ा गोदारा भाटिया जैसला तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान ।
- 11/3. रामस्वरूप पुत्र पारु पुत्री रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन नोखड़ा गोदारा भाटिया जैसला तहसील फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान द्य
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:निर्णय:—

दिनांक :- 07/08/2021

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11/3 की ओर से श्री शलेन्द्र नायक अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे चक 6 एलकेएस के खाता सं. 63/58 के प.नं. 5/276 (36) किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, प.नं. 5/277 (39) किला नं. 3, 4, 8/2, प.नं. 6/276 (35) किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 9.487 हैक्. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में रामचन्द्र के नाम वर्णित 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि में वादी प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 2, 3 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 4/1, 4/2 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 7/2, 7/3 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 9 का 1/6 हिस्सा अनुसार वादी प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष अपने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किरम यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीक्रेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा